सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 कार्तिक, 1947 (श०)

संख्या - 508 राँची, शुक्रवार, 14 नवम्बर, 2025 (ई०)

## खान एवं भूतत्व विभाग

---

### अधिसूचना

13 नवम्बर, 2025

**संख्या-ख०नि०(विविध)-70/2024-2581--**खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 यथा संशोधित के प्रावधानान्तर्गत खनिज ब्लॉक के समानुदान का कार्य नीलामी के माध्यम से किया जाना है। खान मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-D.O No. 7/42/2024-Mines-IV,दिनांक-03.11.2025 के द्वारा राज्यान्तर्गत Pre-Auction Committee गठित करने का अनुरोध किया गया है ताकि भूमि निर्धारण संबंधी मुद्दों (Land scheduling issues) का समाधान खनिज ब्लॉक के नीलामी के पूर्व किया जास के।

अतएव उपरोक्त के आलोक में खनिज ब्लॉक के नीलामी के पूर्व भूमि निर्धारण संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु झारखण्ड राज्यान्तर्गत Pre-Auction Committee का गठन निम्नवत्किया जाता है:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(i)** | **विकास आयुक्त**<br>झारखण्ड, राँची | :- | अध्यक्ष |
| **(ii)** | **अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव**<br>राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,<br>झारखण्ड, राँची | :- | सदस्य |
| **(iii)** | **अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव**<br>वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,<br>झारखण्ड, राँची | :- | सदस्य |

**(iv)** **अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव** :- सदस्य सचिव
खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची

**2-** प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अरवा राजकमल,**
सरकार के सचिव

---

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 508 - 50